न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 201/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गोपीराम पुत्र रणजीत राम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 16.06.2023

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 16.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 21 एफ के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में गैरमुमकिन खाला दर्ज है। जो कि मौका व नहरी विभाग में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में दर्ज व चालू है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की गैरमुमकिन खाला भूमि को दुरूस्त कर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में गैरमुमकिन खाला दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 335 दिनांक 14.06.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 21 एफ के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में दो-दो बिस्वा गैरमुमकिन खाला दर्ज है। मौका पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में पक्का सरकारी खाला बना हुआ है। जिसमें मुरब्बा नम्बर 12 के अलावा भी मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5 में सिंचाई होती है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम दर्ज है। उक्त गैरमुमकिन खाला को किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 2-2 बिस्वा दर्ज कर व किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन हटाकर सालम करने के आदेश दिये जाने उचित है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 13 की प्रति, चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 129 की प्रति, चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 128 की प्रति, चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 20[illegible] के खाता संख्या 118 की प्रति, चक 21 एफ की जमाबन्दी सम्वत 20[illegible] के खाता संख्या 24 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी द्वारा चक 21 [illegible] के [illegible] नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की गैरमुमकिन खाला भूमि को [illegible] कर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में गैरमुमकिन खाला दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 21 एफ के मुरब्बा न[illegible] 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में दो-दो बिस्वा गैरमुमकिन खाला दर्ज है। मौका पर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 में पक्का सरकारी खाला बना हुआ है। जिसमें मुरब्बा नम्बर 12 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अलावा भी मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5 में सिंचाई होती है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1 ता 5 सालम दर्ज है। उक्त गैरमुमकिन खाला को किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 2-2 बिस्वा दर्ज कर व किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन हटाकर सालम करने के आदेश दिये जाने उचित है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 21 एफ के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट की 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि को नहरी व किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ चल रहे खाले की 2-2 बिस्वा नहरी भूमि को गैरमुमकिन खाला दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023, ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
गोपी राम बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 201/2023

निर्णय दिनांक :- 16.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 21 एफ के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट की 2-2 बिस्वा गैरमुमकिन खाला भूमि को नहरी व किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ चल रहे खाले की 2-2 बिस्वा नहरी भूमि को गैरमुमकिन खाला दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 16.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/338 दिनांक 16.06.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:31:51 IST
Reason: SelfAttested